



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



के.भ.नि/बी एंड सी/ई डी/7(1)(डी)/2023-24

दिनांक:15.06.2023

चुनाव सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भंडारण निगम अधिनियम 1962 कि धारा 7(1)(डी) के तहत केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के निदेशक मंडल में तीन वर्ष की अवधि के लिये अशंधारी संस्थाओं अर्थात् अन्य अनुसूचित बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये निदेशक का चुनाव दिनांक **08.08. 2023(मंगलवार) (अपराह्न 2.30 बजे से 4.30 बजे तक)** को केंद्रीय भंडारण निगम के निगमित कार्यालय, वेअरहाउसिंग भवन, 4/1, सीरी ईस्टीच्यूशनल एरीया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़खास, नई दिल्ली-110016 के सभागार में होगा।

उपर्युक्त श्रेणी के सभी अशंधारीयों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भंडारण निगम अधिनियम, 1962 तथा इसके अंतर्गत बनाय गये केंद्रीय भंडारण निगम नियम, 1963 एवं केंद्रीय भंडारण निगम (सामन्य) विनियम, 1965 के संगत उपबंधों के उद्धरण तथा चुनाव आयोजन के लिए विस्तृत प्रक्रिया उन्हें चुनाव सूचना के साथ सीडब्ल्यूसी में उनके पंजीकृत पते पर डाक द्वारा अलग से भेज दी गई हैं। इसे सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

प्रासंगिक नियम/विनियम के अनुसार, कोई भी नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वह चुनाव की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले जमा नहीं किया जाता है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नामांकन के वास्तविक सत्यापन के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है और चुनाव की आगे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बैठक से 21 दिन पहले रखी गई है। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 05.07.2023 (बुधवार) सायं 5.00 बजे तक है। अतः इस तिथि एवं समय के बाद अर्थात् दिनांक 05.07.2023 (बुधवार) को सायं 5.00 बजे के बाद जमा किये गये नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रासंगिक नियम/विनियम के अनुसार, कोई प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि (एआर) मान्य नहीं होगा, जब तक कि यह चुनाव के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं किया जाता है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रॉक्सी/एआर का वास्तविक भौतिक सत्यापन करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है, और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के लिए, प्रॉक्सी/एआर की प्राप्ति की अंतिम तिथि बैठक के चार दिन पूर्व रखी गई है। इस प्रकार प्रॉक्सी /एआर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.07.2023 (गुरुवार) शाम 5.00 बजे तक होगी। इस प्रकार, एस इस तिथि और समय के बाद यानी 20.07.2023 (गुरुवार) को शाम 5.00 बजे के बाद जमा किए गए प्रॉक्सी / एआर विचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तो उस तिथि के लिये निर्धारित कार्य अगले कार्य दिवस को उसी समय किया जायेगा।

जैस्सी जेकब

(जैस्सी जेकब)
सचिव

निगमितका: 4/1, सीरीईस्टीच्यूशनलएरीया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़खास, नईदिल्ली-110016

CO: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 ☎011- 2566107ई-मेल: secycwc@cewacor.nic.in



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



No.CWC/B&C/ED/7(1)(d)/2023-24

Dated: 15.06.2023

ELECTION NOTICE


Notice is hereby given, that the Election of a Director on the Board of Central Warehousing Corporation (CWC) for a term of three years representing shareholding institutions under section 7(1)(d) of Warehousing Corporations Act, 1962 viz. Other Scheduled Banks, will be held on **08.08.2023 (Tuesday) (02.30 P.M. to 04.30 P.M.)** at New Delhi in the Auditorium of the Central Warehousing Corporation, "Warehousing Bhawan", 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110 016.

All the shareholders of above category are hereby informed that the extracts of the relevant provisions of the Warehousing Corporations Act, 1962, the Central Warehousing Corporation Rules, 1963 and the Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965 framed there under and the detailed procedure for conducting of election have been dispatched, along with the Election Notice, by Post to them separately to their registered address with CWC. It can also be seen on the website of the CWC at www.cewacor.nic.in.

As per relevant Rule/Regulation, no nomination shall be valid, unless it is deposited not less than 21 clear days before the date of election. However, keeping in view of the fact that sufficient time is required for undertaking the actual verification of nomination and to complete the further process of election, the last date for receipt of the nomination has been kept more than 21 days earlier to the meeting. **The last date for receipt of nomination is 05.07.2023 (Wednesday) up to 5.00 P.M.** As such, the nomination(s) deposited after this date and time i.e. **05.07.2023 (Wednesday)** after 5.00 P.M. will not be entertained/considered.

As per relevant Rule/Regulation, no proxy/ authorized representative (AR) shall be valid, unless it is deposited not less than four days before the date fixed for election. However, keeping in view of the fact that sufficient time is required for undertaking the actual physical verification of proxies/ARs, and to allow an opportunity of personal hearing, the last date for receipt of the proxies/ARs has been kept more than four days earlier to the meeting. **The last date for receipt of proxies /ARs thus will be 20.07.2023 (Thursday) upto 5.00 P.M.** As such, the proxies/ARs deposited after this date and time i.e. **20.07.2023 (Thursday)** after 5.00 P.M. will not be entertained/considered.

If any of the scheduled dates is declared a public holiday, the work scheduled for the date will be carried out on the next working day at the same time.


(Jessy Jacob)
Secretary

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

चुनाव - आयोजन की कार्यविधि

1. निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारों के नामांकन, केन्द्रीय भण्डारण निगम नियम, 1963 के नियम 9 के अनुसार निगम के निगमित कार्यालय में 05.07.2023 (बुधवार) को सांय 5.00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। लिफाफे, जिसमें नामांकन रखे गए हों सचिव, केन्द्रीय भण्डारण निगम, 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016 के पते पर भेजे जाएं तथा उन पर "गोपनीय-निदेशक का चुनाव, 7(1)(डी)", 2023-24 के लिए नामांकन अवश्य लिखा होना चाहिए।
2. केन्द्रीय भण्डारण निगम नियम, 1963 के नियम 9 (1) (क) के अनुसार किसी उम्मीदवार को निदेशक के चुनाव के लिए विधिवत रूप से तभी नामांकित माना जाएगा जब वह भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 8 के अधीन नामांकन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अतः निदेशक के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन अग्रसारित करते समय अंशधारी संस्थाएं उम्मीदवार से इस आशय का एक शपथ पत्र प्राप्त कर लें कि उम्मीदवार भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 8 के अधीन निदेशक के चुनाव के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उस शपथ पत्र को नामांकन कागजात सहित निगम को भेजा जाए। उम्मीदवार द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक के समक्ष हस्ताक्षरित हो।
3. भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 8 के अधीन नामांकन आवश्यक शपथ पत्र सहित नामांकन करने वाली संस्थाओं के मूल रिकॉर्ड से निगम द्वारा यह सत्यापित किया जाएगा कि नामांकन करने वाला व्यक्ति नियम 9(1) के अधीन इस प्रकारके नामांकन करने के लिए प्राधिकृत है। यदि नामांकन केन्द्रीय भण्डारण निगम नियम, 1963 के नियम 9(2) के अनुसार किया गया है तो उस स्थिति में भी निगम नामांकन करने वाली संस्थाओं के मूल संकल्प-रजिस्टर से यह भी पड़ताल करेगा कि क्या संकल्प संस्था के निदेशक मंडल, प्रबंध समिति अथवा शासी निकाय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा पारित किया गया है और ऐसे अंशधारी संस्था के संकल्प रजिस्टर में रिकार्ड कर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। यदि संबंधित अंशधारी संस्था उसके द्वारा किए गए नामांकन से संबंधित मूल रिकार्ड को सत्यापन हेतु इस उद्देश्य से नियुक्त किए गए केन्द्रीय भण्डारण निगम के अधिकारियों को उपलब्ध कराने/दिखाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है तो ऐसी अंशधारी संस्था द्वारा किया गया नामांकन अवैध माना जाएगा।
4. निर्धारित तिथि तक प्राप्त नामांकनों पर अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा 06.07.2023 (गुरुवार) प्रातः 11.00 बजे निगम के निगमित कार्यालय के बोर्ड कक्ष में विचार किया जाएगा। नामित व्यक्ति अथवा नामांकन करने वाली संस्थाओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकनों के खोले जाने के समय उपस्थित रहने के हकदार होंगे।
5. विधिवत रूप से भेजे गए नामांकनों को सत्यापन के बाद सही पाए जाने पर वैध नामांकन के रूप में स्वीकृत करते हुए सभी संबंधितों की सूचना के लिए तीन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।
6. निदेशक के चुनाव हेतु आयोजित बैठक में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रोक्सी द्वारा मतदान किया जाएगा। प्रोक्सी संबंधी दस्तावेज संलग्न प्रपत्र में भरा हुआ और मोहर सहित हस्ताक्षरित होगा और उस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1989 का 2) की अनुसूची-1 के अन्तर्गत प्रोक्सी के लिए निर्धारित मूल्य की स्टाम्प लगाई जाए। प्राधिकृत प्रतिनिधि से संबंधित दस्तावेज में निदेशक मण्डल, प्रबन्धन समिति अथवा शासी निकाय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा पारित संकल्प की सत्य प्रति सम्मिलित होनी चाहिए जिसमें इसके किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के चुनाव के लिए होने वाली बैठक में इसके प्रतिनिधि के रूप में बैठने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। केन्द्रीय भण्डारण निगम नियम, 1963 के क्रमशः नियम 12(5) एवं 12(6) के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रोक्सी को नियुक्त करने के संकल्प की प्रति निगमित कार्यालय में 20.07.2023 (गुरुवार) को सांय 5.00 बजे तक अवश्य जमा करा दी जानी चाहिए। लिफाफे, जिनमें प्रोक्सी/ए.आर. रखे गए हों, सचिव, केन्द्रीय भण्डारण निगम, 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016 के पते पर भेजे जाएं तथा उन पर "गोपनीय-निदेशक का चुनाव, 7(1)(डी), 2023-24 के लिए प्रोक्सी/ए.आर" भी लिखा जाए।
7. केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा अंशधारी संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रोक्सी फार्म में क्रमानुसार संख्या अंकित किया जाएगा तथा उस पर केन्द्रीय भण्डारण निगम का सुरक्षा होलोग्राम स्टीकर भी लगा हुआ होगा। **केवल यही प्रॉक्सी फॉर्म वैध होगा।** अंशधारियों को अंशधारी संस्थानों के पत्र द्वारा भेजे जा रहे ए.आर./प्रोक्सी के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी भेजने अपेक्षित होंगे:-

1. प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव की प्रति जो अंशधारी संस्थान के निदेशक मंडल, प्रबंधन समिति या शासी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके सचिव या प्रबंधक द्वारा उसके पद की मोहर के साथ हस्ताक्षर करके प्रमाणित की गई हो।
2. प्रोक्सी फार्म के सभी कॉलम अंशधारी संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर के साथ पूरी तरह से भरे हुए होने चाहिए।

उपर्युक्त दस्तावेज अंतिम तिथि एवं समय से पहले इस कार्यालय को भेजे जाएं। जो दस्तावेज अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नामित व्यक्ति (प्रोक्सी धारक) को अपना मूल फोटो पहचान पत्र (वोटर पहचान पत्र/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस आदि) एवं उसकी फोटोप्रति उपरोलिखित क्र.सं.-1 एवं 2 पर दिए गए दस्तावेजों एवं प्रोक्सी, जिस पर केन्द्रीय भण्डारण निगम का सुरक्षा होलोग्राम स्टीकर लगा हो, की फोटोप्रति को साथ लाएगा अन्यथा उन्हें निदेशक के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. निगम द्वारा संबंधित अंशधारी संस्थाओं के मूल रिकार्ड से सभी प्रोक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि की वास्तविकता अथवा अन्यथा सत्यापित की जाएगी कि क्या यह विधिवत नामांकन वास्तव में अंशधारी संस्थान के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है। यदि कोई अंशधारी संस्था इस उद्देश्य के लिए नियुक्त केन्द्रीय भण्डारण निगम के अधिकारियों को प्रोक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से संबंधित मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने/दिखाने में असमर्थता व्यक्त करती है तो ऐसी संस्थाओं द्वारा ऐसे प्रोक्सियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों के लिए जारी दस्तावेज को अवैध माना जाएगा।
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डारण निगम के अनुमोदन से अंशधारी संस्थाओं के अवलोकनार्थ वैध और अवैध प्रोक्सियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों की अंतरिम सूची 27.07.2023 (गुरुवार) को कार्यालय समय में निगम के सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 31.07.2023 (सोमवार) को अपराह्न 03.00 बजे तक इसे दर्ज करा सकता है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डारण निगम अंशधारी संस्थाओं के नामित प्रतिनिधि की 03.08.2023 (गुरुवार) को प्रातः 11.00 बजे व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे। व्यक्तिगत सुनवाई एवं आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डारण निगम के अनुमोदन से वैध प्रोक्सियों/प्रतिनिधियों की अंतिम सूची दिनांक 04.08.2023 (शुक्रवार) को कार्यालय समय में निगम के सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी।
10. वोट डालने तथा चुनाव के संबंध में भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 केन्द्रीय भण्डारण निगम नियम, 1963 एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के अधीन बनाए गए नियमों के संगत उद्घरण तुरंत संदर्भ एवं सूचना के लिए संलग्न है।
11. नामांकन, प्रोक्सियां एवं प्राधिकृत अभ्यावेदन अधिनियम, नियमों और विनियमों के संगत प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।
12. केन्द्रीय भण्डारण निगम नियम, 1963 के नियम 9 के अधीन अंशधारी संस्थाओं द्वारा निदेशक के पद के लिए इस सूचना के जारी होने की तिथि 15.06.2023 (गुरुवार) से पूर्व में किए गए किसी उम्मीदवार के नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसे अवैध माना जाएगा।
13. इसी प्रकार, इस सूचना के जारी होने की तिथि 15.06.2023 (गुरुवार) से पूर्व में बनाए गए प्राधिकृत अभ्यावेदनों/प्रोक्सियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अवैध माना जाएगा।
14. चुनाव बैठक दिनांक 08.08.2023 (मंगलवार) को अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे तक अध्यक्ष की देख-रेख में होगी।
15. यदि निर्धारित तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है तो इस तारीख का निर्धारित कार्य अगले कार्य दिवस को उसी समय पर किया जाएगा।

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT.OF INDIA UNDERTAKING)

PROCEDURE FOR CONDUCT OF ELECTION

1. The **nomination papers** of candidates for Directorship should reach the Corporate Office of the Corporation not later than **05.07.2023 (Wednesday) up to 5.00 PM** as per Rule 9 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963. The envelope containing the nomination papers should be addressed to the Secretary, Central Warehousing Corporation, 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 and should be invariably marked "**CONFIDENTIAL – NOMINATION FOR ELECTION OF DIRECTOR, u/s 7(1)(d), 2023-24.**"
2. As per Rule 9(1) (a) of the Central Warehousing Corporation Rules 1963, no candidate for election as a director shall be deemed to be validly nominated unless he is, on the last date for receipt of nomination not disqualified to be director under section 8 of the Warehousing Corporations Act, 1962. As such, the shareholding institutions while forwarding the nomination papers of a candidate for election of a director, may also obtain an affidavit from the candidate to the effect that he is not disqualified to be a director under section 8 of Warehousing Corporations Act, 1962 and submit the same to the Central Warehousing Corporation (CWC) alongwith the nomination papers. The affidavit thus given by the candidate should be signed before a 1st class Magistrate/Notary Public.
3. The nominations alongwith the required affidavit under section 8 of the Warehousing Corporations Act, 1962 found to be validly made, will be got verified by the Corporation from the original record of the nominating institutions as to whether the person who has made the nomination is authorized to make such nomination as per Rule 9(1). However, if the nomination is made as per Rule 9(2) of the Central Warehousing Corporation Rules 1963, the Corporation may also verify the original resolution register of the nominating institutions as to whether the resolution, stated to have been passed by the Board of Directors, Managing Committee or governing body as the case may be, is recorded in the Resolution register of the shareholding institution and signed by the authorized officer. If the concerned shareholding institution expresses its inability to make available/show the original records, relating to the nomination made by it, for verification to the officers of the Central Warehousing Corporation deputed for the purpose, the nomination made by such shareholding institution will be treated as invalid.
4. Nominations duly received within the due time will be **considered by the Chairman on 06.07.2023 (Thursday) at 11.00 A.M** in the Board Room of the Corporate Office of the Corporation. The persons nominated or the authorized representatives of the nominating institutions will be entitled to be present at the time of opening of nominations.
5. The validly made nomination found as genuine after verification will be accepted as valid nominations and will be published in three leading newspapers for information of all concerned.
6. Votes at the meeting for the election of Director may be cast either by duly authorized representative (AR) or by proxy. The document relating to proxy shall be in the prescribed form attached herewith, which should be duly filled in and signed under its common seal and bear a stamp of the value prescribed for proxy under Schedule 1 to the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1989). The document relating to Authorized Representative should include the true copy of the resolution passed by the Board of Director, Managing Committee or governing body as the case may be, authorizing any of its official or any other person to act as its representative in the meeting being held for the election of Director. A copy of the resolution appointing the duly authorized representative or proxy in the manner prescribed under Rule 12 (5) and 12 (6) respectively of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963 must be **deposited at the Corporate Office of the Corporation no later than 20.07.2023 (Thursday) up to 5.00 PM.** The envelope containing the proxy/AR should be addressed to the **Secretary, Central Warehousing Corporation, 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110 016** and should be invariably marked "**Confidential-Proxy/ AR for election of Director, u/s 7(1) (d), 2023-24**".
7. The Proxy forms sent by the CWC to shareholding institutions will be serially numbered and will have Suraksha Hologram Sticker of CWC affixed thereon. **Only this proxy form will be valid.** The shareholders are required to enclose the following documents with the ARs/Proxy being sent by the shareholding institutions: -

1. Copy of the Resolution for appointing an Authorized representative which is to be certified by the presiding officer of the Board of Directors, Management Committee or governing body or its Secretary or Manager of the Shareholding Institution and it should have the stamp of his post and his signature.
2. All Columns of the proxy form should be filled up, signed and stamped by the Shareholders institutions.

The above documents should be sent to this office before last date. The documents received after last date will not be considered.

The nominee (Proxy holder) will bring his/her original photo ID proof (Voter ID Card/Aadhar Card/Driving License etc.) alongwith photo copy of ID proof and the photocopy of above mentioned Sr.No.1 & 2 documents with the photocopy of proxy having Suraksha Hologram Sticker of CWC otherwise he/she may not be allowed to participate in Election of Director.

8. The genuineness or otherwise of all proxies/ARs will be got verified by the Corporation from the record of the shareholding institutions concerned as to whether these have been validly made by the authorized person of the shareholding institutions. If any of the shareholding institution expresses its inability to make available/show the original records relating to the instrument of proxy/AR to the CWC officers deputed for the purpose, the instrument of such proxy/AR issued by such institution will be treated as invalid.
9. A **tentative list** of the valid as well as invalid proxies/ARs with the approval of Chairman will be displayed on the Notice Board of the Corporation on **27.07.2023 (Thursday) during the working hours** for the perusal of the validly nominated candidates/shareholding institutions that may raise **objections**, if any, **latest by 31.07.2023 (Monday) up to 03.00 PM**. After receipt of objection, if any, a **personal hearing** will be given by **the Chairman** to the representative of the shareholding Institutions on **03.08.2023 (Thursday) at 11.00 AM**. After personal hearing and considering the objections, a **final list** of valid proxies/ARs with the approval of Chairman will be **displayed** on the Notice Board of the Corporation on **04.08.2023 (Friday) during the working hours**.
10. Relevant extracts of the Warehousing Corporations Act, 1962, Central Warehousing Corporation Rules, 1963 and Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965 framed there under, in connection with the voting and election, are annexed for ready reference and information.
11. The nominations, proxies, and authorized representations should be in conformity with the relevant provisions of the Act, Rules and Regulations.
12. The nomination of a candidate for a Directorship made by the shareholding institutions under rule 9 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963 prior to the date of issue of this notice dated **15.06.2023 (Thursday)** will not be entertained and will be deemed to be invalid.
13. Similarly, the authorized representations (ARs)/proxies, made prior to the issue of this notice dated **15.06.2023 (Thursday)** will not be entertained and will be deemed to be invalid.
14. **The election meeting scheduled for 08.08.2023 (Tuesday) will be held from 02.30 PM to 04.30 PM under the supervision of Chairman.**
15. If any of scheduled dates is declared to be a public holiday, work scheduled for the date will be carried out on the next working day at the same time.

वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 के संगत उद्धरण

धारा 4

4 (2) इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा विधिवत विनियोजन के पश्चात केन्द्रीय सरकार किसी भी समय जारी अंशपूँजी के लिए चालीस प्रतिशत अभिदान करेगी और अंशपूँजी का शेष साठ प्रतिशत का केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि एवं अनुपात में निम्नलिखित संस्थानों द्वारा अभिदान किया जाएगा :-

(क) स्टेट बैंक ;

(ख) अन्य अनुसूचित बैंक ;

(ग) सहकारी समितियां ;

(घ) बीमा कंपनियां, निवेश न्यास और अन्य वित्तीय संस्थाएं;

(ङ) कृषि उत्पाद अथवा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के कारोबार में संलग्न मान्यता प्राप्त संस्थाएं एवं कंपनियां ;

धारा 7

निदेशक

(1) धारा 6 में निर्दिष्ट निदेशक मंडल निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित होगा; अर्थात्

(क) छह निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे ;

(ख) हटाया (दिनांक 16 सितम्बर 2005 की अधिसूचना द्वारा) ;

(ग) एक निदेशक स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत किया जाएगा ;

(घ) एक निदेशक अनुसूचित बैंकों द्वारा चुना जाएगा ;

(ङ) एक निदेशक सहकारी समितियों द्वारा चुना जाएगा ;

(च) एक निदेशक बीमा कंपनियों, निवेश न्यासों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, कृषि उत्पाद अथवा अधिसूचित वस्तुओं के कारोबार में संलग्न मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा कंपनियों द्वारा चुना जाएगा ;

(चब) तीन निदेशकों की नियुक्ति (दिनांक 16 सितम्बर 2005 की अधिसूचना द्वारा) केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी;

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा धारा (क) से (च) खंड में निर्दिष्ट निदेशकों के परामर्श से प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया जाता है;

परन्तु यह है कि निदेशक मंडल के प्रथम गठन के लिए खंड (घ) (ड) तथा (च) के अधीन चुने जाने वाले तीन निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तरीके से नामित किए जाएंगे कि इन खण्डों में उल्लिखित संस्थानों (चाहे वे निगम के अंशधारी बने गए हों या नहीं) की प्रत्येक श्रेणी को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन इस प्रकार नामित निदेशक तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसके स्थान पर चुना हुआ निदेशक नहीं आ जाता जैसा कि इस खंड में कहा गया है और इस प्रकार चुना गया निदेशक तब तक ही अपने पद पर रहेगा जब तक पुराना निदेशक, यदि उसके स्थान पर चुना गया निदेशक नहीं नियुक्त होता, अपने पद पर बना रहता ।

(2) उप धारा (1) के खंड (घ) (ड) तथा (च) में निर्दिष्ट निदेशक निर्धारित विधि से चुने जाएंगे ।

(3) यदि इस संबंध में निर्धारित समय में या केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय में उप धारा (1) के खंड (घ) (ड) तथा (च) में निर्दिष्ट संस्थाएं निदेशक चुनने में असमर्थ रहती हैं तो केन्द्र सरकार रिक्त स्थान को भरने के लिए निदेशक मनोनीत कर सकती है ।

X

X

X

X

- (7) निदेशकों में से आकस्मिक पदों को भरने का तरीका एवं कार्यकाल वही होगा ज. निर्धारित किया जाएगा ।

धारा 8

केन्द्रीय भंडारण निगम के निदेशक के पद के लिए अयोग्यता

कोई व्यक्ति केन्द्रीय भंडारण निगम का निदेशक चुने जाने और बनने के लिए अयोग्य माना जाएगा :

- (i) यदि वह पागल या विकृत मस्तिष्क का पाया जाता है, या
- (ii) यदि वह दिवालिया है अथवा किसी भी समय न्याय-निर्णय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने अपने ऋणों का भुगतान रोक दिया है या अपने ऋणदातों के साथ समझौता कर लिया है, या
- (iii) यदि वह नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध में दोषी पाया गया हो और इसके लिए उसे छह महीने की सजा मिली हो और जब तक इस सजा के समाप्त होने के दिन से पांच साल पूरे न हो गए हों या
- (iv) यदि वह सरकारी अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया हो, या
- (v) धारा 7 की उप धारा (1) के खंड (च) के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों तथा प्रबन्ध निदेशक के मामले को छोड़कर यदि वह केन्द्रीय भंडारण निगम अथवा किसी राज्य भंडारण निगम का वेतन प्राप्त अधिकारी है अथवा
- (vi) यदि वह केन्द्रीय भंडारण निगम के लिए किए जा रहे कार्य अथवा किसी अस्तित्वयुक्त संविदा कार्य में कंपनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी के अलावा (निदेशक को छोड़कर) व्यक्तिगत हित रखता है ।

बशर्ते कि ऐसा कोई व्यक्ति अंशधारी है तो वह केन्द्रीय भंडारण निगम को ऐसी कंपनी में अपने अंशों की प्रकृति तथा संख्या के बारे में सूचित करेगा ।

धारा 9

निदेशकों को पद से हटाना

9 (2) निदेशक मंडल किसी निदेशक को पद से हटा सकता है जो

क. धारा 8 में उल्लिखित अयोग्यताओं में से किसी एक के भी अधीन अयोग्य है या अयोग्य हो गया है ; अथवा

ख. निदेशक मंडल की अनुमति के बिना मंडल की तीन से अधिक बैठकों में निरन्तर अनुपस्थित रहता है और मंडल को उसकी अनुपस्थिति को क्षमा करने का कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता ।

X

X

X

X

धारा 34 (अध्याय V विविध)

अंशधारियों का मताधिकार

भंडारण निगम के अंशधारियों की किसी भी बैठक में प्रत्येक सदस्य को निगम में उसके प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का अधिकार होगा ।

केमनि नियम, 1963 के संगत उद्धरण

नियम-4

निदेशकों का कार्यकाल और निदेशकों की आकस्मिक रिक्तियां भरना।

4(3)धारा (7) की उप धारा (1) के खण्ड (घ) खण्ड(ड) या खण्ड(च) के अधीन निर्वाचित निदेशक अपने निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक उसके स्थान पर उनका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है, इनमें से, जो भी बाद में हो, तब तक अपने पद पर बना रहेगा।

X X X X

4(4) उप नियम (7) के प्रावधानों के अधीन निदेशक की आकस्मिक रिक्ति चुनाव अथवा नामांकन अथवा नियुक्ति द्वारा चुनने या नामांकित करने अथवा नियुक्त कर सकने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा भरी जाएगी तथा इस प्रकार चुना गया अथवा नामांकित किया गया अथवा नियुक्त किया गया निदेशक उतनी अवधि तक अपने पद पर कार्य करेगा जितनी अवधि तक वह निदेशक करता, यदि रिक्ति नहीं बनती।

परन्तु किसी निदेशक की सामान्य कार्यकाल की अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन महीने के अंदर उत्पन्न हुई किसी आकस्मिक रिक्ति को इस उप नियम के अधीन नहीं भरा जाएगा।

X X X X

4(6) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नामित निदेशक अथवा खण्ड (घ), खण्ड (ड.) या खण्ड (च) के अधीन निर्वाचित निदेशक लिखित रूप में अध्यक्ष को सम्बोधित अपना त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को अध्यक्ष द्वारा यह त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है या अध्यक्ष द्वारा उसके प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि व्यतीत हो जाने पर, इनमें से जो भी पहले हो।

परन्तु उक्त खण्ड (ग) के अधीन नामित किसी निदेशक का त्याग पत्र उस प्राधिकरण के माध्यम से अध्यक्ष को सम्बोधित होगा जिसने उसे निदेशक के रूप में नामित किया है।

नियम-9

निदेशक के लिए उम्मीदवार का नामांकन

1. कोई भी उम्मीदवार निदेशक के चुनाव के लिए वैधतापूर्वक मनोनीत तभी माना जाएगा जब:

- क) वह धारा 8 के अधीन नामांकन पत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निदेशक होने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।
- ख) वह अंशधारियों की उस श्रेणी जिसके लिए चुनाव किया जाना है, के अंशधारी द्वारा मनोनीत किया गया हो।
- ग) नामांकन लिखित रूप में तथा अंशधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो।

2. उपनियम (1) के अधीन होते हुए भी नामांकन अंशधारी संस्था के निदेशक मंडल, प्रबंध समिति अथवा सरकारी निकाय, जिस पर संस्था के कामकाज के प्रबंधन का जिम्मा है, जैसा भी मामला हो, संकल्प पारित करके किया जा सकता है। यदि इस प्रकार नामांकन किया गया है तो संकल्प की प्रतिलिपि संबंधित निदेशक मंडल, प्रबंध समिति अथवा सरकारी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गयी हो, जिसे निगम के प्रधान कार्यालय में भेजा जाएगा, तभी यह समझा जाएगा कि वह प्रतिलिपि इस नियम के अधीन विधिवत नामांकन है।

3. कोई भी नामांकन जो निगम के प्रधान कार्यालय में चुनाव की निश्चित तिथि से पूरे 21 दिन पहले नहीं पहुँचता, वैध नहीं माना जाएगा।

नियम 10

निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन

1. नामांकन पत्रों के प्राप्त होने की निश्चित अंतिम तिथि के अगले प्रथम कार्यदिवस पर अध्यक्ष उन पर विचार करेगा। ऐसी जांच के बाद जिसे वह आवश्यक समझेगा, किसी भी उम्मीदवार के नामांकन को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि अध्यक्ष के निर्णय से सहमत नहीं है तो वह अध्यक्ष के निर्णय से सात दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

क) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम चुनाव के लिए प्रस्तावित किया गया है अथवा नाम प्रस्तावित करने वाली अंशधारी संस्था का अधिकृत प्रतिनिधि है, वह उस बैठक में जिसमें चुनाव होना है, उपस्थित रह सकता है।
2. यदि किसी भी श्रेणी के वैध नामांकनों की संख्या इस श्रेणी के रिक्त पदों की भरी जाने वाली संख्या के बराबर है, तब इस प्रकार नामित एक या अधिक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित माने जाएंगे तथा इस उद्देश्य से बुलाई गई अंशधारियों की बैठक रद्द की जा सकती है।
3. यदि किसी भी श्रेणी के वैध नामांकनों की संख्या इस श्रेणी के रिक्त स्थानों से बढ़ जाती है तो अध्यक्ष उन वैध नामांकित उम्मीदवारों का नाम तथा पते कम से कम भारत के तीन समाचार पत्रों में छपवाएगा।

नियम 11

अंशधारियों की सूची तैयार करना

1. धारा (7) की उप धारा (1) के खंड (घ) खंड (ड.) या खंड (च) के अधीन निदेशक के चुनाव के लिए हर श्रेणी के अंशधारियों की एक सूची, जिस बैठक में चुनाव होना है, की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पहले तैयार की जाएगी तथा हर

श्रेणी के अंशधारी केवल अपनी श्रेणी के निदेशक के चुनाव के लिए ही वोट देने के अधिकारी होंगे ।

2. निगम के मुख्यालय को आवेदन-पत्र देने पर ऐसी सूची की प्रथम प्रति एक रुपए के मूल्य पर विक्रय के लिए उपलब्ध होगी । यदि उसी अंशधारी द्वारा एक और प्रति की मांग की जाती है तो उनसे एक प्रति के लिए 30 रुपए शुल्क लिया जाएगा ।
3. प्रत्येक अंशधारी जो प्रोक्सी द्वारा उपस्थित है या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भाग ले रहा है, के पास प्रत्येक अंश के लिए एक वोट होगा जो बैठक की तारीख से तीन महीने पहले के पूर्ण समय के लिए उसके पास होना चाहिए ।

वशर्ते कि इस नियम में कुछ भी होते हुए निदेशकों के चुनाव के लिए बुलायी गयी किसी बैठक में कोई भी अंशधारी उन अंशों के लिए जो उसके नाम पर पंजीकृत है और जिन पर कोई मांग अथवा अन्य किसी राशि का अंशधारी द्वारा भुगतान किया जाना है, जिसे उस समय तक नहीं किया गया है और जिसके संबंध में निगम ने अपने धारणाधिकारी का प्रयोग किया है, उसके लिए किसी भी अंशधारी को मत डालने का अधिकार नहीं होगा ।

नियम 12

विनिर्दिष्ट की जाने वाली रिक्तियों से संबंधित विवरण तथा चुनाव की विधि

1. जब किसी बैठक में चुनाव होना हो तो, रिक्तियों से संबंधित विवरण इस नोटिस में देने चाहिए, जिसके द्वारा बैठक बुलायी जाए तथा धारा 7 की उप धारा (1) के खंड (घ) (ड.) तथा (च) में निर्दिष्ट अंशधारियों की विभिन्न श्रेणियों की अलग बैठक बुलायी जा सकती है ।

2. निदेशक का प्रत्येक चुनाव मत-पत्र द्वारा वोट डालकर होगा ।
3. हटाया गया ।
4. किसी भी ऐसी बैठक में, जिसमें चुनाव सम्पन्न होना है, प्रोक्सी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोट भी डाले जा सकेंगे ।
5. प्रोक्सी की नियुक्ति का कोई भी दस्तावेज तभी अधिकृत होगा जब वह :-
 - क) फार्म "क" में हो और अंशधारी संस्था अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा उस पर हस्ताक्षर हुए हों और मोहर लगी हो । (अलग से संलग्न करें)
 - ख) इस पर तिथि लिखी हो तथा प्रोक्सी के लिए इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 (1989 का 2) की अनुसूची-1 में दिए गए मूल्य की टिकट लगी हो और
 - ग) यह निगम के प्रधान कार्यालय में बैठक की निश्चित तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व पावर ऑफ अटार्नी के साथ या उसकी एक प्रतिलिपि जो नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हो, यदि वह अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो और अंशधारी संस्था द्वारा पूर्णरूपेण अधिकृत हो, जमा की गई हो ।
6. एक अंशधारी संस्था अपने निदेशक मंडल, प्रबन्ध समिति या शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प द्वारा अपने किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए अधिकृत कर सकती है लेकिन ऐसा व्यक्ति तब तक बैठक में उपस्थित अथवा वोट नहीं दे सकता जब तक संकल्प की एक प्रति जो उस संस्था के अध्यक्ष या निदेशक मंडल, प्रबन्ध समिति या शासी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या उनके सचिव या प्रबन्धक द्वारा उसके पद की

मोहर के अधीन हस्ताक्षर करके प्रमाणित न की गयी हो तथा बैठक की निश्चित तिथि के चार दिन पहले तक निगम के प्रधान कार्यालय में जमा न की गयी हो ।

7. इस नियम के अधीन अधिकृत प्रतिनिधि की प्रत्येक नियुक्ति जो उपनियम (6) के अधीन संकल्प की सत्य प्रतिलिपि जमा कर देने के बाद उस बैठक के लिए जिसके लिए यह तैयार की गई है, अप्रतिसंहार्य होगी और उस बैठक के लिए उप नियम (5) के अधीन प्रोक्सी की नियुक्ति हेतु जमा कराए गए किसी दस्तावेज का अधिकमण करेगी ।
8. कोई भी व्यक्ति जो निगम का कर्मचारी है, को इस नियम के अधीन प्रोक्सी या अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता ।
9. किसी चुनावी बैठक में किसी अंशधारी द्वारा मत देने की पात्रता का निर्णय बैठक के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा ।

नियम 13

निर्वाचित निदेशकों के नामों का प्रकाशन

विधिवत निर्वाचित निदेशकों के नाम व पते भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 से उद्धरण

विनियम 20

बैठक आयोजन की सूचना

साधारण बैठक अथवा विनियम 24 के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली बैठक की सूचना जिस पर निगम के प्रबन्ध निदेशक अथवा सचिव के हस्ताक्षर होंगे, भारत के राजपत्र अथवा किसी प्रमुख समाचार पत्र में जैसे प्रबन्ध निदेशक निर्देश दें साधारण बैठक के मामले में कम से कम 30 दिन पहले अथवा जैसा भी मामला हो और उक्त विनियम 24 के अधीन बैठक के मामले में कम से कम 45 दिन पहले प्रकाशित की जाएगी।

X

X

X

X

विनियम 24

निर्वाचन हेतु बैठक

प्रबन्ध निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु धारा 7 की उप धारा (1) के खण्ड (घ)(ड) और (च) में लिखित विभिन्न श्रेणियों के अंशधारियों की यथा निर्धारित समय पर कॉर्पोरेट कार्यालय में अलग से बैठक आयोजित कर सकते हैं।

विनियम 25

बैठक का कोरम

- (1) बैठक शुरू होने के समय स्वयं वोट देने वाले पात्र अंशधारियों या प्रोक्सी द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधियों का 15 उपस्थित व्यक्तियों का कोरम पूरा न होने तक किसी सामान्य अथवा विशेष बैठक में कोई भी कार्यवाही सम्पन्न नहीं होगी। यदि निश्चित

समय के 30 मिनट के अन्दर कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय उसी स्थान, या ऐसे दिन, समय व स्थान के लिए जिसे अध्यक्ष निश्चित करें स्थगित समझी जाएगी तथा यदि स्थगित की गई बैठक में कोरम पूरा नहीं होता, तो जो अंशधारी बैठक में उपस्थित होंगे, उनके द्वारा कोरम बना लिया जाएगा ।

परन्तु कोई भी वार्षिक साधारण बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह से अधिक स्थगित नहीं की जाएगी ।

- (2) विनियम 24 के अधीन धारा (7) की उप धारा (1) के खण्ड (घ) (ड) और (च) में उल्लिखित विभिन्न वर्गों के अंशधारियों विभिन्न वर्गों की अलग बुलाई गई बैठक में कोई भी कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकेगी जब तक ऐसी बैठक के प्रारम्भ में स्वयं वोट देने वाले, प्रोक्सी द्वारा अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधियों का कोरम क्रमशः 5,15 और 4 व्यक्ति न हों यदि बैठक प्रारम्भ होने के समय से 30 मिनट के अन्दर कोरम पूरा न हो तो बैठक किसी ऐसे दिन समय और स्थान के लिए जैसा अध्यक्ष निश्चित करें, स्थगित समझी जाएगी। यदि स्थगित बैठक में कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक में उपस्थित अंशधारियों द्वारा कोरम बना लिया जाएगा ।

विनियम 26

बैठक का अध्यक्ष

- (1) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में निदेशक (प्रबन्ध निदेशक के अलावा) जिसे बैठक में उपस्थित एवं वोट देने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों, द्वारा चुना गया हो, बैठक का अध्यक्ष होगा ।
- (2) बैठक का अध्यक्ष बैठक की कार्यविधि को नियंत्रित करेगा और विशेषतया अंशधारियों द्वारा बैठक को संबोधित करने के क्रम, भाषणों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और उनकी राय में किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा होने के बाद उसे बंद करने और बैठक को स्थगित करने की उसे पूरी शक्तियाँ होंगी ।

X

X

X

X

विनियम 29

अंशधारियों की मत देने की पात्रता एवं मत देने के अधिकार

- (1) प्रत्येक अंशधारी, जो अंशधारियों की किसी बैठक की तारीख से कम से कम तीन माह की अवधि से पूर्व अंशधारी के रूप में पंजीकृत हो गया हो, ऐसी बैठक में मत देने का पात्र होगा।
- (2) उप विनियम(1) के अधीन मत देने के पात्र प्रत्येक अंशधारी का जो कि प्रोक्सी अथवा विभिन्न प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हैं, ऐसी बैठक की तारीख से तीन महीने पूर्व की तारीख अवधि के लिए उनके द्वारा पारित अंश के लिए एक मत होगा।

परन्तु इन विनियमों में ऐसा प्रावधान होने पर भी कोई अंशधारी अपने नाम पंजीकृत किन्हीं अंशों के बारे में मत देने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा, यदि उस समय तक उसने किन्हीं मांगों की देय राशियों का भुगतान न किया हो या जिसके बारे में निगम ने किसी ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया हो।

X

X

X

X

विनियम 31

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मत देना

- (1) निगमित निकाय से संबंधित होने पर कोई अंशधारी प्रोक्सी द्वारा मत नहीं देगा, जब तक उप विनियम (2) के अधीन उसके निदेशकों या शाखा निकाय या किसी बैठक में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए उसके किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव लागू रहता है।
- (2) निगमित निकाय (कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 18 अथवा नहीं) के अर्थ में भले ही कम्पनी इत्यादि) अपने निदेशकों का अन्य शासी निकाय के प्रस्ताव द्वारा निगम

की किसी साधारण या विशेष बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति निगमित निकाय, जिसका वह एक प्रतिनिधि है, की ओर से उन्हीं अधिकारों के प्रयोग करने का हकदार होगा, यदि वह निगम का व्यक्तिगत अंशधारी होता। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प में दो प्रतिनिधियों के पक्ष में हो सकता है।

स्पष्टीकरण इस विनियम और विनियम, 32 के प्रयोजन के लिए निगमित निकाय अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी संख्या को जो कि निगम के अंशधारी होने के पात्र हैं, शामिल होगा।

- (3) कोई भी व्यक्ति निगम की बैठकों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं ले सकेगा या मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के, जिसमें यह पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति शेयरधारी संस्था के निदेशक बोर्ड प्रबन्ध समिति या शासी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके सचिव या प्रबन्धक द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित हो, जिस पर उसके हस्ताक्षर और पद की मोहर होगी, बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम पूरे चार दिन पहले निगम के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दी गई हो।
- (4) उपरोक्त प्रस्ताव* की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा कराने के बाद विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति जिस बैठक के लिए की जाती है अप्रतिसंहार्य होगी और ऐसे अंशधारियों के लिए पहले जमा कराए गए प्राधिकार या प्रोक्सी का अधिक्रमण हो जाएगा।
- (5) इस विनियम के अधीन कोई व्यक्ति जो निगम का कर्मचारी है, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

विनियम 32

परोक्षियों

- (1) कोई परोक्षी दस्तावेज तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि यह निगमित निकाय के मामले में उसकी सामान्य मोहर के अधीन निष्पादित न हो या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।
- (2) कोई परोक्षी विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उसके बैठक में मत देने जिस बैठक में उसका प्रयोग किया जाना है, के प्रयोजन के लिए उसे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- (3) कोई परोक्षी विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उस पर विधिवत रूप से स्टाम्प न हो और जब तक कि उसके साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिससे उस पर हस्ताक्षर हैं या मुख्तारनामा नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित अन्य प्राधिकारी की पावर आफ अटार्नी की प्रति की बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व निगम के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कराया गया हो।
- (4) किसी परोक्षी का कोई दस्तावेज तभी वैध होगा (इसे अलग से संलग्न किया गया है) जब वह दिनांकित होगा और नियम 12(5)(क) के अनुसार फार्म "ए" में होगा।
- (5) विनियम 31 के उप विनियम (4) के प्रावधानों के अधीन निगम के मुख्यालय में जमा करवाई गई परोक्षी जमा कराने की अंतिम तिथि के बाद अपरिवर्तनीय होगी, जब तक कि उस तारीख के पूर्व हस्तलेख से लिखित सूचना न दी गयी हो अथवा गारंटर द्वारा अपनी मोहर द्वारा सत्यापित कर विशेष रूप से उस व्यक्ति का नाम प्रपत्र में न लिखा गया हो, जिसके पक्ष में प्रपत्र प्रदान किया गया है तथा ऐसा प्रपत्र निगम के मुख्यालय को लिखित रूप में सूचित न किया गया हो अथवा उप विनियम(6) के अधीन अवैध नहीं समझा जाता हो। यदि दो अनुदानग्राहियोंके नाम परोक्षी के प्रपत्र में दिये जाते हैं तो प्रतिसंहरण की सूचना में द्वितीय अथवा विकल्प अनुदानग्राही कर उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते कि सूचना से यह विदित हो कि परोक्षी लिखित प्रतिसंहरण के लिए है।

- (6) यदि उन्हीं अंशों के बारे में दो या अधिक परोक्षी के प्रपत्र जमा कराए जाते हैं और यदि परोक्षियों के जमा कराने के अंतिम दिन से पहले परोक्षी के एक भी प्रपत्र का उप विनियम(5) में निहित कार्यविधि के अनुसार विधिवत प्रतिसंहरण नहीं होता है, तो ऐसे प्रपत्र अवैध माने जाएंगे।
- (7) परोक्षी प्रपत्र का विधिवत प्रतिसंहरण उप विनियम(3) में विनिर्दिष्ट समय सीमा में परोक्षी का दूसरा विधिवत प्रपत्र जमा कराने में कोई रोक नहीं लगाएगा।
- (8) इन विनियमों में कुछ दिए होने पर भी, परोक्षी प्रपत्र का गारंटीदाता, जो कि इस विनियम के अधीन अप्रतिसंहरणीय बन गया है, बैठक या चुनाव, जिससे कि प्रपत्र संबंधित है, में व्यक्तिगत रूप से मत देने का हकदार नहीं होगा।

RELEVANT EXTRACT FROM WC ACT, 1962

SECTION 4

4(2) 5*[The Central Government shall, after due appropriation made by Parliament by law for the purpose,] subscribe for forty percent. of the share capital issued at any time and the remaining sixty percent. of the share capital may be subscribed for, within such period and in such proportion as may be specified by the Central Government, by the following institutions, namely:--

- (a) the State Bank;
- (b) other scheduled banks;
- (c) co-operative societies;
- (d) insurance companies, investment trusts and other financial institutions;
- (e) recognised associations and companies dealing in agricultural produce or any notified commodity.

* Subs. by s.5.3 ibid

SECTION 7

Directors

(1) The board of directors referred to in section 6 shall consist of the following, namely:--

- (a) six directors to be nominated by the Central Government;
- (b) omitted (vide notification dated 16th September, 2005)
- (c) one director to be nominated by the State Bank;
- (d) one director to be elected by other scheduled banks;
- (e) one director to be elected by co-operative societies;
- (f) one director to be elected by insurance companies, investment trusts and other financial institutions, recognised associations and companies dealing in agricultural produce or notified commodities;
- (ff) three directors to be appointed by the Central Government (vide notification dated 16th September, 2005)
- (g) a managing director, appointed by the Central Government in consultation with the directors referred to in clauses (a) to (f):

Provided that the three directors to be elected under clauses (d), (e) and (f) may, for the first constitution of the board of directors, be nominated by the Central Government in such manner as to give representation to each class of institutions (whether they have become shareholders of the Corporation or not) referred to in those clauses, but a director so nominated shall hold office only until he is replaced by a director elected as provided in that clause, and the director so elected shall hold office only for so long as the director replaced would have held office had he not been replaced.

(2) The directors referred to in clauses (d), (e) and (f) of sub-section (1) shall be elected in the prescribed manner.

If, within the period prescribed in this behalf, or within such further period as the Central Government may allow, the institutions referred to in clause (d) or clause (e) or clause (f) of sub-section (1) fail to elect a director, the Central Government may nominate a director to fill the vacancy.

x

x

x

x

The term of office of, and the manner of filling casual vacancies among the directors shall be such as may be prescribed.

SECTION 8

Disqualification for office of director of the Central Warehousing Corporation.

A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a director of the Central Warehousing Corporation--

(i) if he is found to be a lunatic or becomes of unsound mind; or

(ii) if he is, or at any time has been, adjudicated insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors; or

(iii) if he is or has been convicted of any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months, unless a period of five years has elapsed from the date of expiry of the sentence; or

(iv) if he has been removed or dismissed from the service of Government or a Corporation owned and controlled by the Government; or

(v) except in the case of the director appointed under clause (ff) of subsection (1) of section 7 and the Managing director, if he is a salaried official of the Central Warehousing Corporation; or any State Warehousing Corporation; or

(vi) if he is personally interested in any subsisting contract made with, or in any work being done for the Central Warehousing Corporation except as a shareholder (other than a director) in any public company as defined in the Companies Act, 1956

Provided that where any such person is a shareholder, he shall disclose to the Central Warehousing Corporation the nature and extent of shares held by him in such company.

SECTION 9

REMOVAL OF DIRECTORS FROM OFFICE

9(2) the board of directors may remove from office any director who –

- (a) is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in section 8; or
- (b) is absent without leave of the board of directors or more than three consecutive meetings of the board without cause sufficient in the opinion of the board, to exonerate his absence.

x

x

x

x

SECTION 34 (CHAPTER - V MISCELLANEOUS)

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In any meeting of the shareholders of a Warehousing Corporation, every member shall have one vote in respect of each share held by him in the Corporation.

RULE 9

Nomination of candidates for directorship:

1. No candidate for election as a director shall be validly nominated unless:-
 - a) he is, on the last date for receipt of nomination not disqualified to be a director under section 8;
 - b) he is nominated by a shareholder of the class of holders in respect of which the election is to be held;
 - c) the nomination is in writing signed by a duly authorised representative of the shareholder.
2. Notwithstanding anything in sub-rule (1), a nomination may also be made by a resolution passed by the Board of Directors, managing committee or governing body, as the case may be, of the shareholding institution on whom the management of the affairs of the Institution is vested and where nomination is so made a copy of the resolution certified to be a true copy by the Presiding Officer of the Board of Directors, Managing Committee or governing body, shall be forwarded to the Head Office of the Corporation, whereupon such copy shall be deemed to be a nomination duly made under this rule.
3. No nomination shall be valid unless it is received in the Head Office of the Corporation not less than 21 clear days before the date fixed for the election

RULE 10

Publication of list of candidates for directorship:

1. On the first working day following the last date fixed for the receipt of nomination papers, the chairman shall take the same into consideration. He shall, after such enquiry, if any, as he thinks necessary, accept or reject the nomination of any candidate. Any person aggrieved by the decision of the Chairman, may, within seven days of the orders of the Chairman, accepting or rejecting the nomination of any candidate, appeal to the Central Government whose decision thereon shall be final.

- a) Any person whose name has been proposed for the election or a duly authorised representative of the share holding Institution, proposing his name may be present at the time of the meeting at which his election is to be held.
2. If the number of valid nominations for any category is equal to the number of vacancies to be filled in that category, the candidate or candidates so nominated shall be declared to be duly elected and the meeting of the shareholders called for the purpose may be cancelled.
3. If the number of valid nominations for any category exceeds the number of vacancies to be filled in that category, the Chairman shall cause the names and addresses of the candidates validly nominated to be published in at least three newspapers in India.

RULE 11

Preparation of list of shareholders:

1. For the purpose of election of a director under clause (d), clause (e) or clause (f) of sub-section (1) of section 7, a separate list of shareholders of each class shall be prepared at least four weeks before the date of the meeting at which the election is to be held and the shareholders of each class shall be eligible to vote in the election of director representing their class only.
2. Every such list on application at the Head Office of the Corporation shall be made available for sale at a price of one rupee for the first copy for each shareholder and for any subsequent copy required by the same shareholder, a price of rupee thirty per copy shall be charged.
3. Every shareholder entitled to vote who is present by proxy or is represented by a duly authorised representative shall have one vote for each share held by him for the whole period of three months prior to the date of such meetings;

Provided that, notwithstanding anything contained in this rule no shareholder shall exercise, at any meeting held for the purpose of election of directors, any voting right in respect of any share registered in his name on which any calls or other sums payable by him at that time have not been paid, or in regard to which the Corporation has exercised any right of lien.

RULE 12

Particulars relating to vacancy to be specified and manner of election:

1. Where at any meeting an election is to be held, the particulars relating to the vacancy shall be specified in the notice convening the meeting and separate meetings may be conveyed of different class of shareholders mentioned in clauses (d), (e) and (f) of sub section (1) of section 7.
2. Every election of director shall be conducted by vote of ballot.
3. Omitted.
4. Votes at any meeting at which an election is to be held may be given either by proxy or by any duly authorised representative.
5. No document relating to the appointment of a proxy shall be valid unless:-
 - a) It is in form 'A' duly signed by the shareholding institution under its common seal or by its duly authorised attorney; (enclosed separately)
 - b) It is dated and it bears a stamp of the value prescribed for proxy under Schedule 1 to the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1989); and
 - c) It is deposited at the Head Office of the Corporation, together with the power of attorney or a copy thereof certified by a notary public, in cases where it is signed by the attorney duly authorised by the shareholding institution, not less than four days before the date fixed for the meeting.
6. A shareholding institution may, by resolution of its Board of Directors, managing committee or governing body, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any meeting at which an election is to be held and no person shall attend or vote at that meeting as a duly authorised representative unless a copy of that resolution certified to be a true copy by the Chairman of the said Institution or the Presiding Officer of the Board of Directors,

managing committee or governing body of the said institution, or by the Secretary or the Manager thereof signed under the seal of his office is deposited at the Head Office of the Corporation, not less than four days before the date fixed for the meeting.

7. Every appointment of a duly authorised representative under this rule shall, after the deposit of the certified copy of the resolution under sub-rule (6), be irrevocable for the meeting for which it is made and shall supersede any document relating to the appointment of a proxy for that meeting deposited under sub-rule (5)
8. No person, who is an employee of the Corporation, shall be appointed as a proxy or a duly authorised representative under this rule.
9. The eligibility of a shareholder to vote at any meeting at which an election has to be held shall be decided by the authority presiding at such meeting.

RULE 13

Publication of names of directors elected:

The names and addresses of the directors declared duly elected shall be published in the Gazette of India.

EXTRACT OF CWC (GENERAL) REGULATIONS, 1965

REGULATION 20

NOTICE CONVENING A MEETING

A notice convening a general meeting, or a meeting under regulation 24, of the Corporation signed by the Managing Director or Secretary of the Corporation shall be published in the Gazette of India or in any such newspapers as the Managing Director may direct at least thirty days before the general meeting or, as the case may be, at least 45 days before the meeting under the said regulation 24.

x

x

x

x

REGULATION 24

MEETING FOR ELECTION:

Separate meetings for the purpose of holding elections of representatives on the Board of different classes of shareholders mentioned in clauses (d), (e) and (f) of sub section (1) of Section 7 may be convened by the Managing Director at the Head Office of the Corporation at such time as may be determined by him.

REGULATION 25

QUORUM AT A MEETING:

(1) No business shall be transacted at any general or special meeting of the shareholders unless a quorum of fifteen persons, being shareholders entitled to vote at such meeting in person or by proxy or by a duly authorised representative, is present at the commencement of such meeting, and if within thirty minutes from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the following week at the same time and place, or to such other day and at such other time and place as the Chairman of the meeting may determine and if

at such adjourned meeting a quorum is not present, the shareholders who are present shall form a quorum :

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than six months of the close of the financial year

(2) No business shall be transacted at any separate meeting of different classes of shareholders mentioned in clauses (d), (e) and (f) of sub-section (1) of section 7 convened under regulation 24, unless a quorum of 5, 15 and 4 persons respectively, being shareholders entitled to vote at such meeting in person or by proxy or by a duly authorised representative, is present at the commencement of such meeting and if within thirty minutes from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to such other day and at such other time and place as the Chairman may determine and if at such adjourned meeting a quorum is not present the shareholders who are present shall form a quorum

REGULATION 26

CHAIRMAN OF A MEETING:

(1) The Chairman or in his absence a director (other than the managing director) elected by the persons present at the meeting and entitled to vote there at shall be the Chairman of the meeting.

(2) The Chairman of a meeting shall regulate the procedure thereat and in particular shall have full power to decide the order in which shareholders can address the meeting, to fix time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion any matter has been sufficiently discussed, and to adjourn the meeting.

x

x

x

x

REGULATION 29

SHAREHOLDERS ENTITLED TO VOTE AND THEIR VOTING RIGHTS:

(1) Every shareholder who has been registered as a shareholder for a period of not less than three months prior to the date of any meeting of shareholders shall, at such meeting, be entitled to vote.

(2) Every shareholder entitled to vote under sub-regulation (1) who is present by proxy or a duly authorised representative shall have one vote for each share held by him for the whole period of three months prior to the date of such meeting.

Provided that notwithstanding anything contained in these regulations, no shareholder shall exercise any voting right in respect of any shares registered in his name on which any calls or other sums payable by him at that time have not been paid, or in regard to which the Corporation has exercised right of lien.

x

x

x

x

REGULATION 31

VOTING BY DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

(1) No shareholders, being a body corporate, shall vote by proxy so long as a resolution of its directors or other governing body, under sub-regulation (2) authorizing any of its officials or any other person to act as its duly authorized representative at any meeting is in force.

(2) A body corporate (Whether a company within the meaning of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 or not) may by resolution of its Directors or other governing body authorize any of its officials or any other persons to act as its representative at any general or special meeting of the Corporation and the person so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the body corporate which he represents, as if he were an individual shareholder of the Corporation. The authorization so given may be in favour of two representatives in the alternative.

Explanation: For the purpose of this regulation and regulation 32 a body corporate shall include any institution qualified to be a shareholder of the Corporation under section 4.

(3) No person shall attend or vote at any meeting of the Corporation as a duly authorized representative unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed or by the Presiding Officer of the Board of Directors, managing committee or governing body, as the case may be of the shareholder institution or by the Secretary or by the Manager thereof signed under the seal of his office shall have been deposited at the Head Office of the Corporation not less than four clear days before the date fixed for the meeting.

(4) An appointment of a duly authorized representative shall after the deposit of a certified copy of the resolution as aforesaid, be irrevocable for the meeting for which it is made and shall supersede any authorization or proxy previously deposited for such shareholders.

(5) No person who is an employee of the Corporation shall be appointed as a duly authorized representative or a proxy under this regulation.

REGULATION 32

PROXIES:

(1) No instrument of proxy shall be valid unless in the case of a body corporate it is executed under its common seal or signed by its attorney duly authorised in writing.

(2) No proxy shall be valid unless it is made out specifically for the purpose of voting at the meeting at which it is to be used.

(3) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and unless it together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of the power of attorney or other authority certified by a notary public is deposited at the Head Office of the Corporation not less than four clear days before the date fixed for the meeting.

(4) No instrument of proxy shall be valid unless it is dated and is in the form 'A' as per rule 12(5)(a).

(5) Subject to the provisions of sub-regulation(4) of regulation 31 an instrument of proxy deposited at the Head Office of the Corporation shall be irrevocable after the last day for the deposit of proxies unless on or before that day a notice in writing under the hand or common seal of the granter specifically stating the name of the person in whose favour the instrument was granted and that such instrument is revoked is reported at the Head Office of the Corporation or unless the same is deemed invalid under sub-regulation (6). In the case of an instrument of proxy granted in favour to two grantees in the alternative, it shall not be necessary to mention in a notice of revocation the name of the second or alternative grantee provided that the notice is otherwise sufficient to identify beyond doubt that instrument of proxy which it is intended to revoke.

(6) If two or more instruments of proxy in respect of the same share are deposited and if on or before the last day for deposit of proxies all but one of such instrument of proxy are not duly revoked in accordance with the procedure prescribed in sub-regulation(5) all such instruments of proxy shall be deemed invalid.

(7) The due revocation of an instrument of proxy shall in no way prohibit the deposit of another valid instrument of proxy within the time limit specified in sub-regulation(3).

(8) Notwithstanding anything contained in these regulations, the granter of an instrument of proxy which has become irrevocable under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting or election to which such instrument relates.



FORM - 'A'
(See Rule 12 (5))

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

We.....of.....bein
g a shareholder of the above Corporation holding.....shares
Nos.....

hereby appoint.....
of

as our proxy to vote for us and an our behalf at the meeting of Corporation to be held
on.....day of..... for holding election and at any
adjournment thereof.

Signed thisday of20.....



परोक्षी फार्म क
नियम 12 5 को देखे
केन्द्रीय भण्डारण निगम

हम.....जो
कि केन्द्रीय भण्डारण निगम के अशंधारी है और हमारे.....
.....अंश है, जिनका संख्यांक.....
.....है। हम एतद्द्वारा
.....को (उसके उपस्थित न होने पर
.....के
.....को) निगम के अशंधारियों की
माह, 20..... केदिन को होने वाली बैठक में
और उसके किसी आस्थगन के समय हमारे लिए और हमारी ओर से मत
देने के लिए परोक्षी नियुक्त करते हैं।

माह.....कीतारीख को.....
दिन, 20..... को हस्ताक्षरित ।